नम्बर व तारीख
जो इस हुक्म कि
में जारी हु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
...न अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट खोह
...सीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

तारीख रजू
25.03.2011

तारीख निर्णय
17.05.2018

..17 /11

उनवान

1. छज्जू पुत्र श्री मेडू (मृतक)
   1/1 फूलसिंह पुत्र श्री छज्जू
   1/2 हरबन पुत्र श्री छज्जू
   1/3 पायलेट पुत्र छज्जू जाति गुर्जर निवासी वारिसपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

...................वादी

बनाम

1. मंग्या पुत्र कल्लू जाति कुम्हार निवासी वारिसपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी गत खसरा नम्बर 5 मिन रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 80 रकबा 0.01, 81 रकबा 0.30, 79 रकबा 0.14 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.45 हैक्ट0 वाके ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी मुतनाजा के ख्याली वगैराह के 1/2 भाग पर मिन वादी अपने बुजुर्गो के समय 50 साल से काबिज दाखिल रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जो 1/2 हिस्सा गलत प्रकार से प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज किया हुआ है। प्रतिवादी कभी भी वादग्रस्त आराजी पर काबिज दाखिल नही रहे है जो गैरवास्ता वो गैरकाबिज शख्स है। चूंकि मिन वादी का उक्त आराजी मुतनाजा पर अपने बुजुर्गो के समय से काश्कार के रूप में काबिज दाखिल चला आ रहा है। इसलिए धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी सं0 1 सभी अधिकारात अवसान हो चुके है और वादी को उक्त आराजी मुतनाजा की बाबत खातेदारी अधिकार प्रोतभूत हो चुके है कि जिनकी वादी घोषणा कराने का अधिकारी है। मि... वादी प्रतिवादी सं0 1 के पास गया और अपने नाम को कलमजन कराकर मिन वादी के न... राजस्व अभिलेख में दरामद कराने के लिए कहा जिस पर प्रतिवादी सं0 1 इन्कारी हो गये ... वादी को धमकी दी की वह हाल राजस्व अभिलेख के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात को र... बैय मुन्तकिल कर देगे और वादी को कार्य काश्त नही करने देंगे जिस पर मिन वादी प्रति... तहसीलदार साहब, रामगढ के पास दिनांक 26.02.2011 को गया और मिन वादी का... प्रश्नगत आराजीयात की बाबत ख्याली वगैराह खातेदार मु0 खाता नम्बर 40 बकाश्त मंग्या क...

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

...गैर काबिज वो गैर वास्ता सख्स होने के कारण कलमजन कर मिन वादी को उसके ...पर बतौर खातेदार दरामद करने हेतु निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादी सं0 2 कतई ...र हो गया और सक्षम न्यायालय से अहकाम जारी करने के लिए कहां।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री घोषणात्मक व दुरूस्ती ...राज इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि प्रश्नगत आराजी गत खसरा नम्बर 5 मिन रकबा ...बीघा 16 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 80 रकबा 0.01, 81 रकबा 0.30, 79 रकबा 0.14 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.45 हैक्ट0 वाके ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा का वादी ख्याली वगैराह खातेदार मु0 खाता नम्बर 40 बकाश्त मंग्या का काबिज कृषक होने से ख्याली वगैराह खातेदार मु0 खाता नम्बर 40 बकाश्त मंग्या पिता कल्लू कुम्हार कलमजन किया जाकर मिन वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व अभिलेख में खातेदार दरामद करने हेतु व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम कलमजन करने हेतु अहकाम जारी किया जावें। प्रतिवादी सं0 1 को इस कदर पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर विधिवत् तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए। दिनांक 15.09.2011 को प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा प्रतिवादी सं0 पैरोकार सरकार को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। पैरोकार सरकार ने दिनांक 09.06.2015 को इस प्रकार का जवाब प्रस्तत किया कि ग्राम खोह की जमाबन्दी के खाता सं0 69 में ख्याली वगैराह खातेदार मु0 खाता नं0 40 बकाश्त मंग्या पिता कल्लू कौम कुम्हार सा0 वारिसपुर 1/2 हिस्सा छज्जूराम पुत्र मेडूराम गुर्जर सा0 वारिसपुर 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। हाल आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 0.01, 81 रकबा 0.30, 79 रकबा 0.14 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.45 हैक्ट0 का साबिक नम्बंर 5 मिन रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा सम्वत 2024 की जमाबन्दी में ख्याली वगैराह मुन्दर्जे खाता नम्बर बकाश्त कल्लू कुम्हार मजकूर दर्ज है। यानि प्रार्थीयान का खातेदारान की भूमि पर पुराना कब्जा रिकार्ड का है।

वादी ने दावे की ताईद में हाल जमाबन्दी सम्वत 2064–67, जमाबन्दी सम्वत 2024 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

...आराजी मुतनाजा के ख्याली वगैहरा के 1/2 भाग पर

ा। पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2024 में ख्याली वगैराह
ं खाता नम्बर बकाश्त कल्लू कुम्हार मजकूर दर्ज रिकार्ड है। तथा जमाबन्दी सम्वत
–67 में खाता सं0 69 में ख्याली वगैराह खातेदार मु0 खाता नं0 40 बकाश्त मंग्या पिता
लू कौम कुम्हार सा0 वारिसपुर 1/2 हिस्सा छज्जूराम पुत्र मेडूराम गुर्जर सा0 वारिसपुर 1/2
स्सा दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी मुतनाजा के ख्याली वगैराह के 1/2 भाग पर वादी
अपने बुजुर्गो के समय 50 साल से काबिज दाखिल रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जो
1/2 हिस्सा गलत प्रकार से प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज किया हुआ है। प्रतिवादी कभी भी
वादग्रस्त आराजी पर काबिज दाखिल नही रहे है जो गैरवास्ता वो गैरकाबिज शख्स है। पैरोकार
सरकार ने जवाब में भी बताया है कि प्रार्थीयान का खातेदारान की भूमि पर पुराना कब्जा रिकार्ड
का है। वादी को धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार वादग्रस्त
आराजीयात की बाबत प्रोतभूत हो चुके है। वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी
अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी गत
खसरा नम्बर 5 मिन रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 80 रकबा 0.01, 81 रकबा 0.30,
79 रकबा 0.14 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.45 हैक्ट0 वाके ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला
अलवर के 1/2 हिस्सा का वादी ख्याली वगैराह खातेदार मु0 खाता नम्बर 40 बकाश्त मंग्या का
काबिज कृषक होने से ख्याली वगैराह खातेदार मु0 खाता नम्बर 40 बकाश्त मंग्या पिता कल्ल
कुम्हार को कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है
तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के ना
खातेदार काश्तकार दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होव
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट खोह में सु
गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

...आराजी मुतनाजा के ख्याली वगैहरा के 1/2 भाग पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
...न अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट खोह
...न अधिकारी :– *श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.*

तारीख रजू 25.03.2011 — तारीख निर्णय 17.05.2018

...17 /11

उनवान

1. छज्जू पुत्र श्री मेडू (मृतक)
   1/1 फूलसिंह पुत्र श्री छज्जू
   1/2 हरबन पुत्र श्री छज्जू
   1/3 पायलेट पुत्र छज्जू जाति गुर्जर निवासी वारिसपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

...................वादी

बनाम

1. मंग्या पुत्र कल्लू जाति कुम्हार निवासी वारिसपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी गत खसरा नम्बर 5 मिन रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 80 रकबा 0.01, 81 रकबा 0. 30, 79 रकबा 0.14 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.45 हैक्ट0 वाके ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा का वादी ख्याली वगैराह खातेदार मु0 खाता नम्बर 40 बकाश्त मंग्या मंग्या का काबिज कृषक होने से ख्याली वगैराह खातेदार मु0 खाता नम्बर 40 बकाश्त मंग्या पिता कल्लू कुम्हार को कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

...आराजी मुतनाजा के ख्याली वगैहरा के 1/2 भाग पर